



थाना ललपुरा

दिनांक-22.09.2022

## लूट का खुलासा, लूटे गए माल सहित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.05.2022 को श्री नवशीब पुत्र श्री अलताब शेख निवासी ग्राम नदेहरा थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर खेत से घर जाते समय रास्ते में मोटर साईकिल पल्सर में सवार तीन अज्ञात व्यक्ति द्वारा श्री नवशीब का मोबाइल फोन **Realme C21Y** छीन कर भाग गए थे। पीड़ित द्वारा इस संबंध में दिनांक 31/07/2022 को थाना पर सूचना दी गई, जिसमें मु0अ0सं0-62/2022, धारा-392 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा निर्देश दिए गए थे। जिसके फलस्वरूप थाना ललपुरा पुलिस द्वारा लुटा गए मोबाइल को आज दिनांक 21.09.2022 को ग्राम जलाला से रामजी कुशवाहा पुत्र लीलाधारी निवासी ग्राम जलाला थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के कब्जे से बरामद किया गया। दौराने पूछताछ ज्ञात हुआ कि उपरोक्त मोबाइल मयंक गुप्ता पुत्र श्याम गुप्ता निवासी भांग वाली गली, पैलानी तिराहा मु0 गुरुगुज थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर तथा अजमेर सिंह उर्फ राज ठाकुर पुत्र अरविन्द सिंह नि0 वार्ड नं0 16, देवगांव रोड़ आरा मशीन के पास थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर द्वारा लूट कर रखने के लिये दिया गया था। जिसका उपयोग रामजी कुशवाहा कर रहा था। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में 1.मयंक गुप्ता पुत्र श्याम गुप्ता निवासी भांग वाली गली, पैलानी तिराहा मु0 गुरुगुज थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर 2. अजमेर सिंह उर्फ राज ठाकुर पुत्र अरविन्द सिंह नि0 वार्ड नं0 16, देवगांव रोड़ आरा मशीन के पास थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर का नाम प्रकाश में आया जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा0दं0सं0 की बढोत्तरी की गयी।अभि0 रामजी कुशवाहा को अंतर्गत धारा- 411 आईपीसी में गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।

### बरामदगी का विवरण-

मोबाइल फोन **Realme C21Y**

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रामजी कुशवाहा पुत्र लीलाधारी निवासी  
ग्राम जलाला थाना सुमेरपुर

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1) उ0नि0 रावेन्द्र कुमार
- 2) का0 अनुज कुमार
- 3) का0 असवेन्द्र सिंह

